कार्यालय,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग,
<u>बिहार सरकार, पटना</u>

पत्रांक– क0क्षे0वि0अं0 / 2020 /   पटना,   दिनांक–   / 01 / 2026

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, हार्डिगं रोड,
सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

श्री जितेन्द्र नाथ गुप्ता,
निदेशक,
आम्रपाली रिसोर्ट प्रा0 लि0 / आम्रपाली बैंकुएट प्राईवेट लिमिटेड,
ग्राउण्ड तल, सोन भवन, पटना।

विषयः– **सोन भवन से सटे उत्तर अस्थायी संरचना एवं सोन भवन के सामने खुला क्षेत्र, बेसमेन्ट तल एवं पंचम तल में आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का एकरारनामा तथा किराया एवं रख–रखाव शुल्क का भुगतान पुनर्निर्धारित दर पर करने अन्यथा अधिग्रहित क्षेत्र को हरहाल में खाली करने के संबंध में।**

प्रसंगः– अधीक्षण अभियंता का पत्रांक–168 दिनांक–30.09.2023, पत्रांक–194 दिनांक–08.11.2023, पत्रांक–94 दिनांक–19.07.2025 एवं आपका पत्रांक–शून्य दिनांक–30.10.2025, अधीक्षण अभियंता का पत्रांक–161 / क0क्षे0वि0अं0, पटना, दिनांक–30.09.2023, पत्रांक–207 / क0क्षे0वि0अं0, पटना, दिनांक–08.11.2023, पत्रांक–95 दिनांक–19.07.2025 एवं आपका पत्रांक–शून्य दिनांक–30.10.2025, अधीक्षण अभियंता का पत्रांक–पत्रांक–164 / क0क्षे0वि0अं0, पटना, दिनांक–30.09.2023, पत्रांक–206 / क0क्षे0वि0अं0, पटना, दिनांक–08.11.2023, पत्रांक–93 / क0क्षे0वि0अं0, पटना, दिनांक–19.07.2025 एवं आपका पत्रांक–शून्य दिनांक–30.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको सूचित किया जा चुका है कि दिनांक–01.02.2021 के प्रभाव से सोन भवन / सोन एनेक्सी भवन एवं इसके परिसर के लिए पुनर्निर्धारित किराया एवं रख–रखाव शुल्क लागू की गयी है। प्रासंगिक पत्रों द्वारा पुनर्निर्धारित शर्त्तों के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर आपसे सहमति पत्र की मॉग की गयी थी, जो अबतक आपके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त प्रासंगिक पत्र एवं एकरारनामा प्रारूप में निहित प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब एकरारनामा करने अन्यथा प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्धारित अवधि तीन माह 31.12.2023 तक बकाया किराया एवं रख–रखाव शुल्क का भुगतान करते हुए अधिग्रहित क्षेत्र को हर हाल में खाली करते हुए अधोहस्ताक्षरी को हस्तगत कराने हेतु कहा गया था, लेकिन न तो अबतक पुनर्निर्धारित दर पर एकरारनामा करते हुए किराया का भुगतान किया गया है न तो परिसर खाली किया गया है, जो खेदजनक है।

उक्त के संबंध में आपको दिये गये नोटिस के संदर्भ में आपके प्रासंगिक पत्रांक–शून्य दिनांक–30.10.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि बी0बी0सी0 केस संख्या–20 / 2021 के विरूद्ध अपील पर निर्णय होने तक इसे स्थगित रखा जाये।

उल्लेखनीय है कि उक्त बी0बी0सी0 केस संख्या–20 / 2021 के विरूद्ध सोन भवन अवस्थित अन्य किरायेदार यथा–राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, तृतीय तल, सोन भवन, पटना, बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वितीय तल, सोन भवन, पटना, बिहार राज्य पीछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम, चतुर्थ तल, सोन भवन, पटना द्वारा माननीय न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना के यहॉ क्रमशः दायर बी0बी0सी0 अपील वाद सं0–13 / 2022–23 दिनांक–

05.07.2024, 12/2022–23 दिनांक–21.09.2024 एवं 34/2022–23 दिनांक–04.09.2024 को पारित न्याय निर्णय में कहा गया है कि "अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन पोषनीय नहीं है। गृह नियंत्रक–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक–16.07.2022 को पारित आदेश यथोचित है, जिसे संपुष्ट करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।" विदित हो कि न्यायालय गृह नियंत्रक–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा बी0बी0सी0 वाद सं0–20/2021 में दिनांक–16.07.2022 को आदेश पारित किया गया था, जिसकी सूचना आपको अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–372 दिनांक–23.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिया जा चुका है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरांत आपके द्वारा यह कहना कि दायर किये जाने वाले अपील पर निर्णय होने तक इसे स्थगित रखा जाये, उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपको बार–बार मौखिक एवं लिखित सूचना देने के बावजूद अबतक न तो पुनर्निर्धारित किराया इत्यादि दर पर एकरारनामा करते हुए किराया का भुगतान किया जा रहा है एवं नाहीं बकाया का भुगतान करते हुए अधिग्रहित क्षेत्र को खाली किया जा रहा है। आपके द्वारा पुराने अल्प दर पर सोन भवन के बेसमेन्ट तल, ग्राउण्ड तल एवं पंचम तल पर अधिग्रहित क्षेत्र के विरूद्ध माह जनवरी, 2026 तक निम्न प्रकार किराया, रख–रखाव शुल्क एवं जी0एस0टी0 के मद में बकाया है :–

1.	ग्राउण्ड तल (होटल एवं खुला क्षेत्र) के विरूद्ध	–	रू0	1,08,65,980.72
2.	बेसमेन्ट तल	–	रू0	2,06,95,345.55
3.	पंचम तल	–	रू0	94,45,813.09

दिनांक–24.04.2025 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में सोन भवन, पटना के संबंध में सम्पन्न बैठक, जिसमें आप भी उपस्थित थे। इस बैठक में निदेश प्राप्त हुआ कि सोन भवन के क्षेत्रों का किराया नये दर के अनुसार प्राप्त किया जाय।

अतः यह आपको अंतिम नोटिस दिया जा रहा है कि पुनर्निर्धारित शर्त्तों पर अपनी सहमति एवं बकाया किराया इत्यादि का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करते हुए एकरारनामा प्रारूप में निहित प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब एकरारनामा करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपको देय सुविधाओं को बंद करते हुए बकाया किराया इत्यादि की वसूली एवं आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को खाली कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

अनु0:–यथावत्।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/2020/ पटना, दिनांक– /01/2026

प्रतिलिपि– निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना/अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0 / 2020 /   पटना,   दिनांक–   / 01 / 2026

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0 / 2020 / 18   पटना,   दिनांक–22 / 01 / 2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।